

FIRE SAFETY CERTIFICATE

No. SP-2

Dated: 13-4-22

Certified that the AKLANK PUBLIC SCHOOL (name of the building or premises) at BASANT VIHAR, KOTA (address) comprised of _____ basement(s) and Four (Ground + 3 Floor) (upper floors) owned/occupied by AKLANK PUBLIC SCHOOL (name of the Institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on _____ (date of inspection) in the presence of MR. VIKAS JAIN (name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy class _____ with effect from 13/4/2022 for a period of _____ years in accordance with rule and subject to compliance of the conditions.

Issued on 13/04/2022 at KOTA by

* Strike out whichever is not applicable.

Signature with Seal : _____

Name : _____

Designation : _____

(दिनेन्द्र मोतम)
सहा अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम, कोटा

To PRINCIPAL

AKLANK PUBLIC SCHOOLBASANT VIHAR KOTA, RAJ.

(Name & Address of the Institution)

ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled and annulled due to _____ (reasons to be recorded).

(Name and designation of the authorized signatory)

नगर निगम, कोटा दक्षिण

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/KOTA SOUTH/FIRENOC/2023-24/27255
जारी दिनांक: 04-MAR-2024

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: VIKAS JAIN
आवेदक का पता: 3 K 34 VIGHYAN NAGAR KOTA

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन **AKLANK VIDYALAY ASSOCIATION, BASANT VIHAR, KOTA, KOTA, KOTA SOUTH, KOTA, RAJASTHAN** का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह **स्थाई (Permanent)** अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें:-

- उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष के बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- भवन में समस्त स्टाफ व रिजिस्ट्रिडी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम एक बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलवाया जाना आवश्यक होगा एवं वर्ष में तीन बार स्वयं के स्तर पर मॉकड्रिल आयोजित की जानी होगी।
- स्थापित अग्निशमन संघ/उपकरणों को उद्देश्य कर्मशील अवस्था में रखने होंगे।
- भवन का मौका निरीक्षण के दौरान अग्निशमन अधिकारियों के द्वारा दिये गये आवश्यक दिशा निर्देशों की पालना की जानी होगी।
- यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किये जाते हैं तो आवेदनकर्ता/संचालक/व्यवस्थापक द्वारा मान्य होंगे।
- भवन का अग्निशमन विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व स्थापित अग्निशमन संघ/उपकरण कर्मशील अवस्था में नहीं पाए जाने पर उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र/अग्निशमन पत्र निरस्त किये जाने का अधिकार आघोहताकारकर्ता को संलग्न रूप से होगा।
- स्थापित किये गये फायर निरस्तन को कर्मशील अवस्था में रखे जाने हेतु 24 घंटे प्रतिदिन कर्मचारी/स्टाफ रखने होंगे तथा ए.एम.सी कारवाई जाकर निरस्तन का रखा रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
- अग्निशमन वाहन की सुगमता से भवन तक पहुंच सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
- भवन के आउट सिट्टी भी प्रकट का निरस्तन पदार्थ व अग्नि ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जाये।
- भवन में गैर लैबर व दो रजिस्टर भवन की जगहों पिल्ला हर समय भवन में सुरक्षित स्थान पर रखा जाना अनिवार्य है एवं भवन में आपातकालीन सीधियों/लिफ्ट्स द्वारा अवरोध नहीं होनी चाहिए।
- यह अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से ही भवन के लिए मान्य है।
- भूमि व भवन रहवासी संबंधित सिट्टी भी प्रकट के वाद विवाद हेतु यह पत्र कतौर दाख्य मान्य नहीं होगा एवं इस आशय में आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
- उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र भवन/परिसर में आवेदक द्वारा अग्निशमन के समस्त प्रावधान पूर्ण किये जाने के पश्चात् स्वतंत्र/नेस्टोरेज्ट संचालन हेतु मान्य होगा।
- आपातकालीन स्थिति में सूचना तुरन्त अग्निशमन विभाग तक पहुंचे इसके लिए स्थापित आग चेलावनी (साईन बोर्ड/दूरभाष नम्बर) इत्यादि लगावने जाने की व्यवस्था का प्रावधान करना अनिवार्य होगा।



अग्निशमन अधिवारी
नगर निगम, कोटा दक्षिण